

प्रसाद समेत  
अदान के लिए

(219)

95.

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल समिटि कोर्ट रोवा ₹ म० ४०/-

निगरानी २५४३-II-१५



Rs. 5/-

अरेन्ट्र ईश्वर तनय ₹ ८० किमला प्रसाद निवासी ग्राम - ओवर कौआट्टा न

तहसील - हनुमना, जिला - रोवा ₹ म० ४०/- ----- निगरानी करा

श्री छोटी एस. योहानी एड  
द्वारा आज दिनांक. २३.६.१५ के

बनाम

१४ अवध्ये रोवा तनय हिंचपती राम,

समिटि कोर्ट ईश्वर रामभिलाष तनय हिंचपती राम,

३- अरेन्ट्र ईश्वर तनय ₹ ८० किमला प्रसाद,

५- मोतीलाल तनय ₹ ८० अवध्या प्रसाद,

क्रमांक  
रजिस्टर्ड लोस्ट दाता आम  
को ब्रिटिश इंडियन राजस्व कुमार उर्फ रिन्कु तनय अवध्या प्रसाद,  
दिनांक

६- त्रिलोकीप्रसाद तनय ₹ ८० किमला प्रसाद,

क्रमांक नं० ७ कोर्ट  
राजस्व मंडल समिटि किमलीपुर  
उजागिर प्रसाद, ₹

८- अनरह प्रसाद, क्रमांक ७ ता १० के पिता

९- श्री कान्त, देवेन्द्र कुमार,

१०- रमाकान्त

११- अजयपाल, ११ ता १३ के पिता रघुनाथ प्रसाद,

१२- सतपी चंद्र,

१३- अलोपीप्रसाद,

१४- अलोपीप्रसाद तनय राममनोहर,

१५- अमरेन्द्र कुमार तनय राममनोहर,

१६- विजेन्द्र कुमार, तनय राममनोहर,

१७- जिवेन्द्र कुमारतनम राममनोहर

१८- मक्षुदन प्रसादतपय बैजनाथ,

2-

- 19- भोला प्रसाद तनय शिवेक राम  
 20- गोकुल नाथ तनय नीलकंठराम,  
 21- जनार्दन प्रसाद तनय देवीलाल,  
 22- झेयालाल तनय देवीलाल,  
 23- रामनरेस तनय नीलकंठ राम,  
 24- उदयभान तनय शिवेक राम,  
 25- श्रीमती साक्षी पत्नी श्रीतला प्रसाद,  
 26- छोटेलाल तनय नीलकंठ राम ,  
 सभी निवासी । ता 26 ग्राम ओवर कौआदान, तहो हुमना, जिला -  
 रीवा मध्यो

— और निगरानीकक्षतांगण

निगरानी विष्ट श्री मान क्लेटर महोदय,  
 जिला - रीवा मध्यो के द्वारा निगरानीकक्षता  
 प्र० ० ६/अ-६/२०१०=२०११ म पारित आदेश  
 दिनांक २८-४-२०१५,

पुनरीदान याचिका अन्तर्गत धारा ५० मध्यो  
मूरोरुप्ति १९५९ ई०।

मान्यवर,

पुनरीदान याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि क्लेटर महोदय, जिला - रीवा मध्यो द्वारा पारित आलोच्य  
 आदेश दिनांक २८-४-२०१५ अनियमित एवं औचित्यहीन है।  
 2- यह कि अधीनस्थ यायात्र्य के द्वारा समस्त दस्तावेजों को किना देखे  
 ही आलोच्य आदेश पारित किया है इसलिये आदेश विपर्यस्त है तथा निर-  
 किये जाने योग्य है।  
 3- यह कि नामान्तरण पंजी के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश अपील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ—अ

(95)

प्रकरण क्रमांक R. 2543-II/15 जिला—रीवा

अकोट्टे शेपर विरुद्ध अध्यन्तरण वर्ग:

(1)

(2)

(3)

16-1-19-

1. आवेदक की ओर से श्री..... अधिवक्ता  
द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अमर कलेक्टर, जिला..... श्री.....  
के प्रकरण क्रमांक..... 611.अ-6/2.प10-11..... में पारित  
आदेश दिनांक.... 28.04.15..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी  
है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये  
संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की  
धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई  
हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को  
अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक.... 29.03.19..... को  
कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु  
उपस्थित हो।

✓  
सदस्य

(एडब्ल्यूकेट)